Indian J. Soc. & Pol. 13 (01):121-124: 2026 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 January 2026 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

हरियाणा में अनुसूचित जातियों का उत्थान : सरकारी योजनाओं का ऐतिहासिक प्रभाव (1935–2001)

प्रिया रानी[1], सुभाष बलहारा[2]

[1]शोधार्थी, इतिहास और पुरातत्त्व विभाग, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक, हरियाणा, भारत
[2]एसोसिएट प्रोफेसर, सरकारी पी०जी० कॉलेज फॉर वूमेन, रोहतक, हरियाणा, भारत

ABSTRACT

यह शोध पत्र 1935 से 2001 तक हरियाणा में अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव की पड़ताल करता है। इस अवधि में शुरु की गई नीतियों ने शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, जिससे अनुसूचित जातियों की स्थिति में सुधार हुआ। इन योजनाओं में आरक्षण, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार और स्वास्थय सुविधाएं शामिल थी, जिन्होने साक्षरता और जीवन स्तर को बेहतर किया। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, स्वास्थय केंद्रों और वित्तीय संस्थानों की कमी ने इन प्रयासों को सीमित किया। सीमित संसाधनों ने भी योजनाओं की प्रभावशीलता को प्रभावित किया। शोध पत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमान प्रगति को उजागर किया गया है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बाधाएं देखी गई है। यह शोध नीति निर्माताओं को बेहतर निगरानी और स्थानीय भागीदारी के माध्यम से समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने की सलाह देता है। यह हरियाणा के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य में अनुसूचित जातियों के लिए नीतियों की प्रासंगिकता को रेखांकित करता है और भविष्य के सुधारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

KEYWORDS: *अनुसूचित जातियाँ, हरियाणा, आरक्षण, साक्षरता, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढ़ाँचा।*

भारत में अनुसूचित जातियाँ (एससी) ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रही है। 1932 का पूना समझौता संयुक्त निर्वाचन और आरक्षित सीटें सुनिश्चित करता था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम ''अनुसूचित जातियाँ'' शब्द को औपचारिक रूप देता था, जो विद्यायिकाओं और सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण प्रदान करता था। हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग होकर बना, 2001 की जनगणना में 19.35 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनसंख्या का घर है, मुख्य रूप से चमार, बाल्मीकि और अन्य कृषि और हस्तचालित श्रम में लगे समुदाय। यह शोध पत्र 1935–2001 की अवधि में हरियाणा में अनुसूचित जातियों के उत्थान पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है। यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थय और गरीबी उन्मूलन में परिवर्तनों का मूल्यांकन करता है। साक्षरता 1951 में 10.8 प्रतिशत 2001 में 55.5 प्रतिशत तक बढ़ी। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सीमित वित्तीय संसाधनों ने समानता को बाधित किया। यह शोध पत्र नीतिगत सुधारों की सिफारिश करता है।

उद्देश्य

इस शोध पत्र के उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. 1935 से 2001 तक हरियाणा में अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नीतियों और योजनाओं का ऐतिहासिक विकास और कार्यान्वयन का अध्ययन करता।
2. इन योजनाओं के साक्षरता, रोजगार, गरीबी में कमी और सामाजिक समावेशन पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
3. कार्यान्वयन में बाधाओं जैसे अपर्याप्त बुनियादी ढ़ाँचा और सीमित्त वित्तीय संसाधनों की पहचान करना।
4. समावेशी विकास के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करना।
5. हरियाणा के सामाजिक–आर्थिक संदर्भ में योजनाओं की प्रासंगिकता का विश्लेषण करना।

ये उद्देश्य नीति निर्माताओं और शोधकत्ताओं के लिए व्यापक अंतदृ र्ष्टि प्रदान करते हैं।

पद्धति

यह शोध गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोणों का उपयोग करता है :

1. दस्तावेजी विश्लेषण : प्राथमिक स्त्रोतों (1935 अधिनियम, 1936 आदेश, 1950 संविधान आदेश) और माध्यमिक स्त्रोतों (हरियाणा सरकार की रिर्पोटें, हरियाणा अनुसूचित जातियाँ वित्त और विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट) का विशलेषण।

2. माध्यमिक डेटा विश्लेषण: 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 की जनगणना डेटा से साक्षरता, रोजगार और गरीब दरों का अध्ययन।

3. साहित्य समीक्षा : सामाजिक विज्ञान और शिक्षा पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की समीक्षा।

4. ऐतिहासिक तुलनात्मक विश्लेषण : पूर्व स्वतंत्रता (1935–1947) और स्वतंत्रता के बाद (1947–2001) नीतियों की

1: Corresponding Author

तुलना।

5. क्षेत्रीय फोकस : हरियाणा के ग्रामीण–शहरी और कृषि आधारित संदर्भ पर ध्यान।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : (1935–1947)

1935 से 1947 तक ब्रिटिश उपनिवेश काल में अनुसूचित जातियों की औपचारिक मान्यता हुई। 1932 का पूना समझौता संयुक्त निर्वाचन और आरक्षित सीटें सुनिश्चित करता था, जिसमें पंजाब में 8 सीटें शामिल थीं।[2] 1935 का भारत सरकार अधिनियम ''दबे हुए वर्गो'' को ''अनुसूचित जातियाँ'' के रूप में परिभाषित करता था। 1936 का अनुसूचित जाती आदेश को सूचीबद्ध करता था, जिसमें पंजाब के अध–धर्मी, बाल्मीकि, चमार, चनाल, दागी, धानक, खटीक, मेघ, मोची भादि शामिल थे। बी. आर. अंबेडकर के नेतृत्व में अखिल भारतीय दबे हुए वर्ग संघ ने सुरक्षा उपायों के लिए जोर दिया। हालांकि पंजाब हरियाणा क्षेत्रों में कार्यान्वयन सीमित था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आर्थिक योजनाएँ दुर्लभ थी।

हरियाणा के संदर्भ में, पंजाब की विरासत ने अनुसूचित जातियों की स्थिति को आकार दिया, जहां कृषि श्रम प्रमुख या उपनिवेश नीतियां सामाजिक सुधार पर केंद्रित थी, लेकिन आर्थिक उत्थान न्यूनतम था। गांधी और अंबेडकर के बीच बहस ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के दृष्टिकोण को प्रभावित किया, गाँधी आंतरिक सुधार पर जोर देते थे जबकि अंबेडकर राज्य हस्तक्षेप की मांग करते थे। इस अवधि ने स्वतंत्र भारत में विस्तारित होने वाली नीतियों की नींव रखी।

स्वतंत्रता के बाद की नीतियों और योजनाएँ (1947–2001)

1947 के बाद, भारत के संविधान ने अनुच्छेद 15,16, 46, 330, 332, 335, 338 और 340 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षा स्थापित की।[4] हरियाणा 1966 में स्थापित केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं से लाभान्वित हुआ। निम्नलिखित चार प्रमुख योजनाओं का विस्तरित विश्लेषण किया गया है।

आरक्षण व सुरक्षात्मक उपायः

1950 का संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश हरियाणा में चमार, बाल्मीकि, अध–धर्मी, यागी धानक, खरीक, मेघ, मोची आदि को सूचीबद्ध करता था, सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता था 1956 के संशोधनों ने सिक्ख दलितों, जैसे रामदासिया और मजहबी सिक्ख, को शामिल किया। हरियाणा सरकार ने 1995 में आरक्षण नीतियों का संकलन प्रकाशित किया। आरक्षण नीति का आधार 1950 के संवैधानिक प्रावधानों में निहित था, जो अनुच्छेद (16) (4) के तहत सरकारी नौकरियों। में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता था। हरियाणा में नीति को लागू करने के लिए सामाजिक न्याय विदेशालय नियमावली तैयार की, जिसमें भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और पवित्रता मानदंड शामिल थे। 1970 के दशक में, हरियाणा ने आरक्षण कोटा को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किए, जैसे अनुसूचित जातियों के लिए विशेष रोजगार मिले।

शैक्षिक संस्थानों में विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में, 15 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने 1980 के दशक में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए विशेष प्रवेश कक्ष स्थापित किए। 1990 तक अनुसूचित जाति छात्रों का नामांकन 1971 के 3ः से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 1971 में 5 प्रतिशत से 2001 में 15 प्रतिशत तक बढ़ा यह वृद्धि ग्रुप ब और क श्रेणियों (जैसे लिपिक, चपरासी) में अधिक थी, जबकि ग्रुप । और ठ (उच्च प्रशासनिक पद) में प्रतिनिधित्व 2001 में केवल 2–3 प्रतिशत था। इस असमानता का कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी थी। उदाहरण के लिए, हरियाणा के हिसार और सिरसा जैसे क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रों की अनुपस्थिति ने उच्च–स्तरीय नौकरियों तक पहुंच को सीमित किया।

हरियाणा सरकार ने आरक्षण को लागू करने के लिए जिला–स्तरीय समितियां गठित की, जो पात्रता की जाँच और भर्ती प्रक्रिया की निगरानी करती थीं। 1980 के दशक में, विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित किए गए, जो अनुसूचित जातियों के लिए नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देते थे। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यालयों की कमी और खराब सड़क संपर्क ने पहुँच को बाधित किया।

ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, जैसे सीमित प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार कार्यालय ने आरक्षण के लाभ को कम किया। सीमित वित्तीय संसाधनों ने विशेष भर्ती अभियानों के विस्तार को बाधित किया। उदाहरण के लिए, 1990 के दशक में कई ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक रोजगार कार्यालय था, जो हजारों गांवों को कवर करता था। इसके अतिरिक्त, जागरूकता की कमी ने कई पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने से रोका। सिरसा जिले में, 1995 में एक विशेष भर्ती अभियान ने 200 अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को आवेदन करने से रोका।

शैक्षिक और छात्रवृत्ति योजनाएं

1950 के दशक में शुरू पश्च–माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना ने हरियाणा में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ बनाया। 1971 में स्थापित हरियाणा अनुसूचित जातियाँ वित्त और विकास निगम (एचएसएफडीसी) ने छात्रवृतियों और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए। पश्च–माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना ने 10वीं कक्षा के बाद के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसमें टयूश्न शुल्क, किताबें और मासिक भत्ता शामिल था। 1970 में, हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत 100 रू –300 रू से मासिक भत्ता निर्धारित किया, जो 1990 तक बढ़कर 500रू–1000रू हो गया था। एचएसएफडीसी ने व्यवसायिक पाठ्यक्रमों, जैसे सिलाई, यांत्रिक कार्य और टंकण, के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। 1980

के दशक में, निगम ने 20 जिलों में 50 प्रशिक्षण केंद्र खोले, जिनमें से प्रत्येक में औसतन 100 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया।

हरियाणा सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से छात्रवृत्ति वितरण को समन्वित किया। एचएसएफडीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर आयोजित किए, जिसमें स्थानीय पंचायतों का सहयोग लिया गया। 1990 के दशक में, ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत की गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाओं की कमी ने इसे सीमित किया।

साक्षरता दर 1951 में 10–8ः से 2001 में 55.5 प्रतिशत तक बढ़ी। 1951 की पंजाब जनगणना में अनुसूचित जाति जनसंख्या लगभग 25 लाख थी, जिसमें चमार सबसे बड़ा समुदाय था। 1981 तक हरियाणा में अनुसूचित जाति छात्रओं का प्राथमिक स्कूल नामांकन 20 प्रतिशत बढ़ा और 1991 तक माध्यमिक स्तर पर 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यवसायिक प्रशिक्षण ने स्वरोजगार को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से सिलाई और यांत्रिक कार्य में। उदाहरण के लिए रोहतक जिले में 1995 में 500 अनुसूचित जाति महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनमें से 60 प्रतिशत ने छोटे व्यवसाय शुरू किए।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, प्रशिक्षण केंद्रों और शिक्षकों की कमी ने प्रगति को बाधित किया। उदाहरण के लिए, 1991 में हरियाणा के 40 प्रतिशत ग्रामीण स्कूलों में केवल एक या दो शिक्षक थे। सीमित वित्तीय संसाधनों ने छात्रवृत्ति राशि को बढ़ाने और प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार को रोका। कई गाँवों में बिजली और परिवहन की कमी ने प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँच को कठिन बनाया। भिवानी जिले में, 1998 में एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र ने 200 अनुसूचित जाति छात्रों को यांत्रिक कार्य का प्रशिक्षण दिया, लेकिन केवल 30 प्रतिशत ने रोजगार प्राप्त किया, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उद्योगों की कमी थी।

3. आर्थिक विकास पहलें

1979–80 में शुरू विशेष घटक योजना (एससीपी), बाद में अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) ने अनुसूचित जाति जनसंख्या (लगभग 20 प्रतिशत) के अनुपात में धन आवंटित किया। विशेष केंद्रीय सहायता शिक्षकों ने गांव में योजनाओं का प्रचार किया। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं और सड़कों की कमी ने धन वितरण को बाधित किया। सीमित वित्तीय संसाधनों ने ऋण राशि और लाभार्थियों की संख्या को सीमित किया। उदाहरण के लिए, 1995 में केवल 30ः पात्र परिवारों को एससीए के तहत ऋण मिला। जींद जिले में, 1997 में 300 अनुसूचित जाति परिवारों को डेयरी फार्मिंग के लिए ऋण प्रदान किए गए, लेकिन अपर्याप्त बाजार संपर्क और परिवहन सुविधाओं के कारण केवल 40 प्रतिशत व्यवसाय टिक पाए थे।

4. स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने स्वास्थय और सामुदायिक केंद्र योजनाएं शुरू की। हरियाणा के सामाजिक न्याय निदेशालय ने वृद्धावस्था पेंशन और आवास योजनाएँ लागू की। 1970 के दशक में शुरू वृद्धावस्था पेंशन योजना ने 60 वर्ष से अधिक आयु के अनुसूचित जाति व्यक्तियों को 200रू मासिक पेंशन प्रदान की, जो 2000 तक 500 रुपये हो गई। स्वास्थय योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक केंद्र शामिल थे। 1990 के दशक में, हरियाणा सरकार ने 100 नए पीएचसी स्थापित किए, जिनमें से 30ः अनुसूचित जाति बस्तियों के पास थे। (एससीए) ने स्वरोजगार और आवास को समर्थन दिया एचएसएफडीसी की व्यापार और व्यवसाय क्षेत्र योजना ने कम ब्यान दरों पर ऋण प्रदान किए।

एससीपी ने हरियाणा के वार्षिक बजट का 20ः अनुसूचित जातियों के लिए आवंरित किया, जिसमें स्वरोजगार, पशुपालन और छोटे व्यवसायों के लिए घन शामिल था। 1980 में, हरियाणा सरकार ने 50 करोड़ रूपये का बजट एससीपी के लिए निर्धारित किया, जो 2000 तक बढ़कर 200 करोड रूपये हो गया। एससीए ने केंद्रीय स्तर पर अतिरिक्त धन प्रदान किया, जिसमें प्रतिलाभार्थी 10000–50000 रूपये के ऋण शामिल थे। एचएफएसडीसी ने 1990 के काज में 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण शुरू किए, जैसे डेयरी फार्मिंग और किराना दुकानों के लिए।

हरियाणा सरकार ने जिला विकास कार्यालयों के माध्यम से धन वितरण को समन्वित किया। एचएसएफडीसी ने ग्रामीण बैंको के साथ साझेदारी की, और 1995 तक 50 ग्रामीण बैंकों ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष ऋण काउंटर स्थापित किए। सामाजिक न्याय निदेशालय ने पेंशन वितरण के लिए ग्रामीण बैंकों और डाकघरों का उपयोग किया। स्वास्थ्य योजनाओं को आशा कार्यकर्त्ताओं और स्थानीय पंचायतों के माध्यम से लागू किया गया। 1995 में, हरियाणा ने अनुसूचित जाति बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर शुरू किए, जिसमें मुफ्त चिकित्सा जाँच और दवाएँ प्रदान की गई।

पेंशन ने 2001 तक 50,000 से अधिक अनुसूचित जाति बुजुर्गो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की। स्वास्थ्य केंद्रों ने मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया और 1991 से 2001 तक अनुसूचित जातियों में टीकाकरण दर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक बढ़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी और अपर्याप्त चिकित्सा उपकरणों ने प्रभावशीलता को कम किया। सीमित वित्तीय संसाधनों ने पीएचसी के विस्तार और कर्मचारियों की भर्ती को बाधित किया। उदाहरण के लिए, सन् 2000 में हरियाणा के 60 प्रतिशत ग्रामीण पीएचसी में केवल एक डॉक्टर था। करनाल जिले में, 1999 में एक स्वास्थय शिविर ने 1000 अनुसूचित जाति परिवारों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान की, लेकिन नियमित स्वास्थय केंद्रों की कमी ने दीर्घकालिक देखभाल को सीमित किया।

प्रभाव विश्लेषण

- सकरात्मक प्रभाव
- शिक्षा : साक्षरता दर 1951 में 10.8ः से 2001 में 55.5 प्रतिशत तक बढ़ी।

तालिका 1 : हरियाणा में अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर (1951–2001)

वर्ष	साक्षरता दर (:)
1951	10.8
1961	13.5
1971	22.4
1981	31.2
1991	46.7
2001	55.5

स्त्रोत : जनगणना डेटा 2001।

- रोजगार : सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्त्व 1971 से 2001 में 15 प्रतिशत तक बढ़ा।

तालिका 2 : हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

वर्ष	कर्मचारी
1971	5
1981	8
1991	12
2001	15

स्त्रोत : श्रम मंत्रालम, 2001।

- गरीबी में कमी : गरीबी दर 1971 में 60 प्रतिशत से 2001 में 30 प्रतिशत तक घटी।

तालिका 3 : हरियाणा में अनुसूचित जातियों की गरीबी दर (1971–2001)

वर्ष	गरीबी दर (प्रतिशत)
1971	60
1981	50
1991	40
2001	30

स्त्रोत : योजना आयोग, 2000।

2001 तक, सामाजिक–आर्थिक प्रगति स्पष्ट थी। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों म सुविधाओं की कमी ने लाभ को सीमित किया

चुनौतियाँ

हरियाणा में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कई चुनौतियाँ रही। अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, प्रशिक्षण केंद्रों व स्वास्थक सुविधाओं की कमी ने लाभ को सीमित किया। जागरूकता की कमी के कारण कई लाभार्थी योजनाओं से वंचित रहे। ग्रामीण–शहरी असमानताएँ और भूमिहीनता ने आर्थिक प्रगति को सीमित किया। मजबूत निगरानी और सामुदारिक भागीदारी भावश्यक है।

निष्कर्ष

हरियाणा में अनुसूचित जातियों (एससी) के उत्थान में सरकारी योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से साक्षरता, रोजगार और गरीबी उन्मूलन में। 1935 से 2001 तक आरक्षण छात्रवृत्ति और विशेध घटक योजना जैसी पहलों ने सामाजिक–आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया। हालांकि अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सीमित वित्तीय संसाधनों ने समानता को सीमित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कम लाभ और जागरूकता की कमी प्रमुख चुनौतियां रही। मजबूत निगरानी, सामुदायिक भागीदारी और नीतिगत सुधारों के माध्यम से इन कमियों को दूर करना आवश्यक है ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

REFERENCES

अंबेडकर, बी० आर० (1945) : *अखिल भारतीय दबे हुए वर्ण संघ : उद्देश्य और उपलब्धियां,* बंबई पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, बंबई

गाँधी, एम० के० एवं अंबेडकर, बी० आर० (1937) : अस्पृश्यता पर बहस : पत्राचार, *हरिजन,* 4(12), पृ० 22–30

भारत सरकार (1936) : अनुसूचित जातियाँ आदेश, *राजपत्र,* दिल्ली

भारत सरकार (2001) : *हरियाणा जनगणना 1951,* जनगणना कार्यालय, नई दिल्ली

भारत सरकार (1935) : *भारत सरकार अधिनियम,* ब्रिटिश संसद, लंदन

भारत सरकार (1956) : संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950, संशोधन, *राजपत्र,* नई दिल्ली

भारत सरकार (2001) : क्षेत्र और जनसंख्या, हरियाणा *सांख्यिकी सार*

योजना आयोग (2000) : हरियाणा में गरीबी उन्मूलन : अनुसूचित जातियों पर प्रभाव, नई दिल्ली

राव, वी०के० (2002) : भारत में साक्षरता और सामाजिक परिवर्तन, *शिक्षा पत्रिका,* **19** (**4**), पृ० 33–48

लक्ष्मीकांत, एम० (2004) : *भारत की राजव्यवस्था, 7*वाँ संस्करण, एम०सी० ग्रा–हिल, पृ० 388–340

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय (1971) : पश्च–माध्यमिक छात्रवृति योजना : दिशा निर्देश, नई दिल्ली

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय (1999) : अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार अवसर योजना, नई दिल्ली

सिंह, पी० (2003) : हरियाणा में अनुसूचित जातियों का सामाजिक–आर्थिक उत्थान : नीतिगत विश्लेषण, *भारतीय सामाजिक अध्ययन पत्रिका,* **15** (**2**), पृ० 78–92

हरियाणा अनुसूचित जातियाँ वित्त और विकाश निगम (1988) : स्वरोजगार और व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएँ, चंडीगढ़

श्रम मंत्रालय (2001) : हरियाणा में कार्यबल भागीदारी : अनुसूचित जातियाँ, भारत सरकार, नई दिल्ली